106

न्यायालय श्रीमान रा० जस्व मंडल ग्वालियर म०प्र० नि/961-III/08

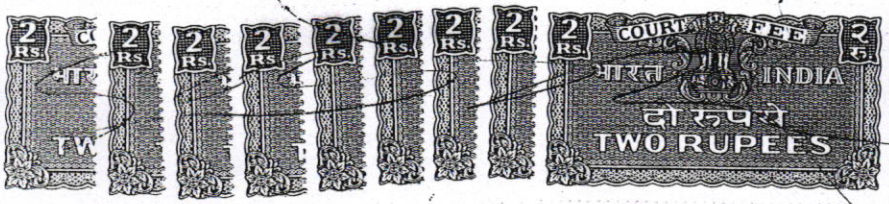

श्रीमती सईदाखातून पुत्री असफाकअली पति हैदरअब्बासजैदी निवासी हिमिया रीवा तह० हुजूर / जिला रीवा म० प्र० ------------------- अपीलान्ट

बनाम

शासन म० प्रदेश ------------------------------------ रेस्पा०

अपील विरुद्ध निर्णय अपर आयुक्त महोदय /कमिश्नर सा०/ रीवा सम्भाग रीवा प्रकरण क्रमाक 535/ अपील/ 0-0-08 निर्णय दिनाक 2- 4-2008 बाबत प्लाट न० 4001/1 रकबा 55वाई 32 = 1760 वर्ग फीट वाका मोहल्ला हिमिया रीवा हस्ब दफा44/ 3/ का० मा० 1959 ई० ।

क्रमांक 1368 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 11-8-08 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर

अपील के आधार निम्नलिखित है

1 - यहकि अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून विधि एव विधान के विरुद्ध है जो कायम रखने योग्य नही है ।

2- यहकि अदालत मातहत ने जान बूझ कर निर्णय पारित करने मे कानूनी भूल की है ।

3- यह क अदालत अव्वल व दोयम ने भी जान बूझ कर महज तंग परेशान किया व नाहक मुकदमे बाजी मे फसा दिया है जबकि अपीलान्ट बीमारी मे ग्रसित है चलने फिरने से मजबूर है ।

4- यहकि अदालत मातहत के समक्ष सेलसार्टीफिकट 1-3-33 ई की होमनिनिस्टर

Saeda Khatoon

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

निगरानी प्रकरण कमांक 961–तीन/2008 जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-06-18	आवेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0घाकड़ एंव अनावेदक के पैनल लायर श्री अजय चतुर्वेदी को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 535/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–4–2008 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे आवेदक के अभिभाषक के आवेदन देने पर अंतरिम आदेश दिनांक 5–6–2009 से निगरानी में परिवर्तित किया गया है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नजूल तहसील के न्यायालय में प्लाट कमांक 4001 रकबा 55X32 पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार नजूल रीवा ने आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने नजूल अधिकारी जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। नजूल अधिकारी रीवा ने प्रकरण कमांक 5 अ 6/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 16–1–2008 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 535/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–4–2008 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है। 3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि प्लाट कमांक 4001 रकबा 55X32 के भूमिस्वामी असफक अली थे जिनके जन्नतवासी होने के उपरांत आवेदक उनकी पत्नि होने से विधिक	

वारिस है एंव प्लाट कमांक 4001 पर नामान्तरण कराने की अधिकारिणी है परन्तु मूल अभिलेख की छानवीन किये बिना अधीनस्थ न्यायालयों ने सरसरी तौर पर आदेश पारित किये है इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार की जावे।

शासन के पैनल लायर का तर्क है कि नगर रीवा स्थित प्लाट कमांक 4001 रकबा 55X32 वर्गफुट कीमती भूमि है यह प्लाट नजूल मध्य प्रदेशशासन का है जिस पर कभी भी आवेदक के जन्नतवासी पति असफाक अली का नाम दर्ज नहीं रहा है इसलिये आवेदक की मांग व्यर्थ है निगरानी निरस्त फरमाई जावे।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 2–4–2008 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त ने आदेश में विवेचित कर निष्कर्ष दिया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने आदेश में यह माना है कि प्लाट नंबर 4001 में बटा नंबर दर्ज है और यह इस प्लाट पर असफाक अली भूमिस्वामी नहीं है तो वारिसाना नामान्तरण किये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अनावेदक के पैनल लायर के तर्को के मुताविक प्लाट रीवा नगर में स्थित है जो वेशकीमती होकर मध्य प्रदेशशासन का नजूल भूखंड है जिसके कारण विचाराधीन अपील में शासन हितों के विपरीत आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना मुनासिव नहीं समझा गया है। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 2–4–2008 में निकाले गये निष्कर्ष , नजूल अधिकारी रीवा के आदेश दिनांक 16–1–2008 में निकाले गये निष्कर्ष, तहसीलदार नजूल के आदेश के निष्कर्ष समवर्ती होने से विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य न होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य